# अस्पताल से बच्ची चुराने वाली महिला गिरफ्तार

दिनांक 15.03.09 को संख्याराजे सूती गृह उज्जैन से डॉक्टर श्रीमती जे. गेडाम एम.ओ. का लिखित आवेदन प्राप्त होने पर थाना देवासगेट के उप निरीक्षक ने संख्याराजेय प्रसूती गृह उज्जैन पहूँचकर फरियादिया श्रीमती सपना पति धर्मेन्द्र जाति गारी उम्र 22 वर्ष निवासी कायथा ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 13.03.09 को करीब 03:30 बजे मुझे बच्ची पैदा हुई थी। दिनांक 15.03.09 के सुबह 04:00 बजे बच्ची को दूध पिलाया व मै भी सो गई। सुबह 05:00 बजे मेरी नींद खुली तो देखा मेरी बच्ची पलंग पर नही थी। कोई छोटी बच्ची को उठाकर अपहरण कर ले गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना देवासगेट में अपराध क्रमांक 85/09 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। नवजात बच्ची के अपहरण हो जाने के कारण आम जनता में काफी आक्रोश होकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी थी तथा मीडिया एवं विभिन्न सिटी चैनलों पर भी अपहृत बच्ची के सम्बन्ध में प्रकाशित किया जा रहा था। पुलिस द्वारा बच्ची के अपहरण को चुनौती के रूप में लिया जाकर अज्ञात आरोपी की सुरागरसी हेतु 5000/– रूपये की उद्घोषणा भी की गई। तथा एक टीम को लगाया गया। इस टीम द्वारा मेहनत व लगन से कार्य कर दिनांक 21.04.09 को आरोपिया यास्मीन उर्फ यासु पति रईस खां उम्र 25 वर्ष निवासी खेडामाधोपुर जिला देवास को गिरफ्तार कर उससे अपहृत बालिका को बरामद किया गया। अपराध को घटित करने में यास्मीन का सहयोग शमशाद उर्फ चुन्नु ने किया था जिसे भी गिर. किया जा चुका है।